245

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निग-3452-I/16

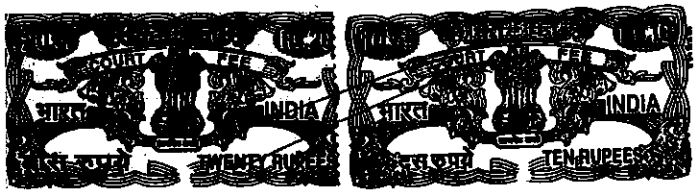

1- वीरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी तनय स्व0 श्री अनुसुइया प्रसाद चतुर्वेदी

2- प्रेमनाथ चतुर्वेदी तनय स्व0 अनुसुइया प्रसाद चतुर्वेदी

3- धीरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी तनय स्व0 अनुसुइया प्रसाद चतुर्वेदी

4- रावेन्द्र कुमार चतुर्वेदी तनय स्व0 अनुसुइया प्रसाद चतुर्वेदी

5- अंजनी कुमार चतुर्वेदी तनय स्व0 अनुसुइया प्रसाद चतुर्वेदी

6- अनिल कुमार चतुर्वेदी तनय स्व0 अनुसुइया प्रसाद चतुर्वेदी

सभी निवासी ग्राम-पोस्ट सूरा, तहसील मनगवॉ जिला रीवा म0प्र0

143
03.10.16

............................निगरानीकर्तागण

बनाम

1- संतोष कुमार चतुर्वेदी तनय स्व0 श्री बाला प्रसाद चतुर्वेदी

2- वैद्यनाथ चतुर्वेदी तनय स्व0 श्री बाला प्रसाद चतुर्वेदी, दोनो निवासी ग्राम-पोस्ट सूरा, तहसील मनगवॉ जिला रीवा म0प्र0

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट ....गैरनिगरानीकर्तागण/उत्तरवादीगण
पेश किया दि 03-10-16

मुकेश भार्गव
3-10-16 एडवोकेट
ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 को प्रकरण क्रमांक 104/ अपील 2013X14 आदेश दिनांक 12/08/2016 अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू- राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैः-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3452–दो/16 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18.10.16	आवेदकगण के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। अनावेदक केवियेटकर्ता की ओर से श्री आर0 एस0 सेंगर अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 104/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 12.8.16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2- निगरानीकर्ता अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार मनगंवा के समक्ष आपसी बटवारा के आधार पर पुल्ली अनुसार नमांतरण/बटवारा का आवेदन पत्र 109, 110 एवं 178 भू-राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत किया था जिसमें उनके सहखाते की भूमियां ग्राम सूरा, बुड़वा, पोखरा, एवं शुकुलगवा पटवारी हल्का सूरा में स्थित के आपसी बटवांरा हो जाने के वाद अपने अपने हिस्से में प्राप्त भूमियों के लगान अदायगी भूमि सुधार हेतु कर्ज, खाद, बीज लेने केडिट कार्ड बनवाने में असुविधा होने की वजह से नामांतरण हेतु आग्रह किया गया था। उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्व कर	

विधिवत इश्तहार का प्रकाषन कराया गया तथा प्रारूप " ख " के अनुसार इश्तहार प्रकाशित करने के उपरांत पटवारी हल्का से बटवांरा पुल्ली तैयार कर प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया जिसके पालन में पटवारी हल्का ने ग्राम में जाकर मौके से पुल्ली तैयार कर तहसील न्यायालय में पेश की गई थी । तहसील न्यायालय ने उक्त वटवांरा पुल्ली को स्वीकार करते हुये अपने आदेश दिनांक 5.6.2010 को नामांतरण/बटवारा का आदेश पारित किया, और बटवांरा पुल्ली को आदेश का अंग माना गया। आदेश की इत्तलावी कर शासकीय रिकार्ड दुरूस्त करने का भी निर्णय दिया गया। उक्त आदेश पारित होने के 20 दिन पश्चात उन्हीं तहसीलदार ने धारा 32 के तहत कार्यवाही कर हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर पूर्ण अपने ही द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 5.6.2010 को म0 प्र0 भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा-32 के तहत आदेश दिनांक 25.6.2010 द्वारा निरस्त कर दिया गया। उनका यह भी तर्क है कि आवेदकगण ने तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.6.10 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी मनगंवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 5.10.13 द्वारा स्वीकार कर तहसील आदेश दिनांक 25.6.2010 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया। उनका यह भी तर्क हे कि आदेश दिनांक 5.

विधिवत इश्तहार का प्रकाषन कराया गया तथा प्रारूप " ख " के अनुसार इश्तहार प्रकाशित करने के उपरांत पटवारी हल्का से बटवांरा पुल्ली तैयार कर प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया जिसके पालन में पटवारी हल्का ने ग्राम में जाकर मौके से पुल्ली तैयार कर तहसील न्यायालय में पेश की गई थी । तहसील न्यायालय ने उक्त वटवांरा पुल्ली को स्वीकार करते हुये अपने आदेश दिनांक 5.6.2010 को नामांतरण/बटवारा का आदेश पारित किया, और बटवांरा पुल्ली को आदेश का अंग माना गया। आदेश की इत्तलावी कर शासकीय रिकार्ड दुरूस्त करने का भी निर्णय दिया गया। उक्त आदेश पारित होने के 20 दिन पश्चात उन्हीं तहसीलदार ने धारा 32 के तहत कार्यवाही कर हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर पूर्ण अपने ही द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 5.6.2010 को म0 प्र0 भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा-32 के तहत आदेश दिनांक 25.6.2010 द्वारा निरस्त कर दिया गया। उनका यह भी तर्क है कि आवेदकगण ने तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.6.10 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी मनगंवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 5.10.13 द्वारा स्वीकार कर तहसील आदेश दिनांक 25.6.2010 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया। उनका यह भी तर्क हे कि आदेश दिनांक 5.

10.13 के विरूद्ध अनावेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील पेश की अपील में ऐसा कहीं भी अभिवचन नहीं किया कि तहसील न्यायालय के प्रकरण में खाता विभाजन/नामांतरण में अनावेदकगण का किन भूमियों में हित प्रभावित हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील में उठाये गये तथ्यों को मान्य कर प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 5.10.13 को निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनसी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.8.16 निरस्त करने अनुरोध किया।

अनावेदक अभिभाषक का तर्क हे कि जब किसी न्यायालय की भूल के कारण किसी पक्ष को हानि पहुंची तव उस हानि का परिमार्जन करने के लिये न्यायालय को अपनी अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग करना चाहिये। तहसीलदार ने धारा 32 भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत स्वंय अपने द्वारा की गई भूल परिशोधित करने की शक्ति के अंतर्गत दिनांक 5.6.2010 को पारित आदेश स्वयं दिनांक 25.6.2010 को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की हैं जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने गौर न कर निरस्त करने में त्रुटि की थी उक्त आदेश के

विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील पेश की अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा ने अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.8.2016 स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया है।

4– उभय पक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवालोकन किया जिसके अनुसार तहसील न्यायालय के समक्ष नामांतरण/वटंबारा का आवेदन प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज कर इश्तहार का प्रकाशन प्रारूप "ख " में कराया गया इश्तहार में प्रकाशित विज्ञाप्ति अनुसार नियत अवधि के भीतर किसी के द्वारा अथवा आपत्ति कर्ताओं के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई उसके वाद पटवारी हल्का से आवेदित भूमियां एवं रकवे के संबंध में बटंवारा पुल्ली तैयार किये जाने का आदेश दिया पटवारी हल्का से प्राप्त पुल्ली बटवांरा के अनुसार आदेश दिनांक 5.6.2010 को बंटवारा/नामांतरण किये जाने का आदेश तहसीलदार द्वारा पारितं किया गया हैं आदेश पारित करने के उपरांत दिनांक 25.6.10 को पटवारी हल्का से प्रतिवेदन लिखाया गया एवं उसी दिनांक को संहिता की धारा 32 का उपयोग करते हुये पूर्व में अपने

द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.6.10 को निरस्त कर दिया गया है। उक्त आदेश में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया कि किसी परिवेदित व्यक्ति के द्वारा लैखिक एवं मौखिक आपत्ति की गई है। जहां तक बटवांरा शुल्क स्टांप की क्षति होने की बात कही गई है उसके वारे में पूर्ववती आदेश दिनांक 5.6.10 में शुल्क जमा कराये जाने का लेख स्वयं तहसीलदार द्वारा लिखा गया थां संहिता की धारा 32 का उपयोग तभी किया जाना चाहिये जब कोई अन्य विकल्प संहिता में प्रावधानित नहीं रहा गया है। रिकार्ड के अवलोकन से यह भी तथ्य स्पश्ट होता है कि अनावेदक ने तहसील आदेश दिनांक 5.6.10 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील भी प्रस्तुत की हैं जो लंबित है। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 25.6.10 की अनियमितत के संबंध विस्तृत उल्लेख कर अपने आदेश दिनांक 5.10.13 द्वारा निरस्त कर उचित एवं वैद्य आदेश पारित किया था। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक ने यह भी प्रमाणित नहीं किया था कि वह खाता विभाजन/नामांतरण किये जाने से उनके हित किस प्रकार प्रभावित हो गये । इस प्रकार प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त

रीवा संभाग रीवा द्वारा जो आदेश दिनांक 12.8.16 पारित किया गया है वह उचित एवं विधि सम्मत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.8.16 निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील मनगवां जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.10.2013 वहाल किया जाता है। तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 5.10.13 के पालन में आवेदकगण के नाम राजस्व अभिलेख दुरूस्त करें।

सदस्य